2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रूपाराम बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 85 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रूपाराम रूदिया पता गांव रूदिया तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.05.18 में उसके द्वारा (1) जोधपुर जिल में 01.08. 2017 से 01.04.2018 तक मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र सूची नाम, पिता के नाम तथा पत्ते के साथ उपलब्ध व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 881 दिनांक 07.07.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि श्री प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक 864 दिनांक 28.06.2018 रजिस्टर्ड पत्र द्वारा कुल 17 पृष्ठों की बिन्दुवार सूचना प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना अपील दायर होने के पश्चात् प्रेषित की गई है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner